बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
अधिसूचना

संख्या–वन्यप्राणी–02/2003 (खण्ड–ii) 245(डे) पटना–15, दिनांक 12.09/2012

नीलगायों *(Boselaphus tragocamelus)* द्वारा फसलों को पहुँचाई जा रही क्षति के प्रशमन हेतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित) की धारा–4(1)(bb) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य के सभी जिले के जिला पदाधिकारी/ अनुमंडलाधिकारियों को अपने अधिकारिता क्षेत्र में नीलगायों *(Boselaphus tragocamelus)* पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उपरोक्त अधिनियम की धारा–11(1)(b) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेतु दिनांक–31.12.2012 तक के लिए मानद वन्यप्राणी प्रतिपालक (Honorary Wildlife Warden) नियुक्त करती है। इस प्रस्ताव पर राज्य वन्यप्राणी पर्षद की सहमति प्राप्त है। अधिनियम की धारा–5(2) के अन्तर्गत मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक को, अधिनियम की धारा–11(1)(b) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति को मानद वन्यप्राणी प्रतिपालकों (सभी जिला पदाधिकारी/ अनुमंडलाधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नांकित शर्त्तों के अधीन होगा :-

1. मानद वन्यप्राणी प्रतिपालकों (Honorary Wildlife Wardens) मनुष्यों तथा फसलों को क्षति पहुँचाने वाले नीलगायों को, अन्य विकल्पों के अप्रभावी रहने पर लिखित रूप से मारने की अनुमति देंगे।
2. मानद वन्यप्राणी प्रतिपालक (Honorary Wildlife Warden) उपरोक्त प्रत्यायोजन के अन्तर्गत कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार को समर्पित करेंगे।
3. मानद वन्यप्राणी प्रतिपालकों (Honorary Wildlife Warden) को नीलगायों के शावकों को मारने या मारने की अनुमति देने पर रोक होगी।
4. मृत नीलगायों का अग्नि संस्कार निश्चित रूप से कराया जायेगा।
5. वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की सुसंगत धाराओं का अनुपालन किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12-9-12

(धीरेन्द्र कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव